संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत सीतापुर–हरदोई मार्ग (राजमार्ग–सं0–330डी) किमी0 33.200 से 38.800 के मध्य कुल 5.60 कि0मी0 की दूरी में मार्ग का 2 लेन पेब्डसोल्डर, चौड़ीकरण एंव सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण दिनाँक–19–07–2022 को वन विभाग के साथ किया गया। संयुक्त निरीक्षण कार्य प्रस्तावक विभाग के श्री अजय कुमार, सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर एवं श्री रामचन्द्र, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कछौना, सामाजिक वानिकी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई के द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1– सीतापुर–हरदोई मार्ग (राजमार्ग–सं0–330डी) किमी0 33.200 से 38.800 के मध्य कुल 5.60 कि0मी0 की दूरी में मार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि उ0 प्र0 शासन की विज्ञप्ति सं0–1115/14–331–50, दिनाँक–10 फरवरी 1960 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। मार्ग चौड़ीकरण कार्य 8.28 हे0 वन भूमि को वनेत्तर कार्य हेतु लिया जाना प्रस्तावित है।

2– प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूची संलग्न है।

4– प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। मार्ग चौड़ीकरण कार्य की अनुमति उच्च स्तर से मिलने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5– भू स्वामित्व विभाग लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले संरक्षित वन भूमि पर मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि 8.28 हे0 भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी, निवास नहीं कर रहे हैं तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

6– प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण हेतु उपयोग में आने वाली संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) क्षेत्रफल 8.28 हे0 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

(शिव प्रकाश कुशिक)
(राम चन्द्र)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कछौना

क्षेत्रीय वनाधिकारी
कछौना
हरदोई वन प्रभाग

(वी0के0 आनन्द)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सण्डीला

(अजय कुमार)
सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
कानपुर

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 वन एव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई